फर्द अहकाम

सुरेश कुमार बनाम तहसीलदार चौमूं

नाम न्यायालय

केस संख्या 56/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/7/22	प. प्र. उप०। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता केविएटकर्ता द्वारा जवाब प्रा० पत्र तहत 047 व धारा 114 सपठित धारा 151 CPC का पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 03/8/22 को पेश हो। sd/-
	3/8/22	प. प्र. उप०। पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 17/8/22 को पेश हो। sd/-
	17/8/22	प. प्र. उप०। पत्रावली के संबंध में अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 18/8/22 पेश हो।
	18/8/22	प. प्र. उप०। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर जो निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली sd/-

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

श्री सुरेश कुमार बनाम तहसीलदार चौमूं वगै.

न्यायालय संख्या 56/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		सर्व नम्बर से कैम होकर पत्रावली समाप्त हो। उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

प्र.सं. 56/2022

उनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री गोविन्दराम,
2. गणेश पुत्र श्री पांचूराम,
3. छीतर पुत्र श्री भोमाराम,
4. बजरंग पुत्र श्री रामसहाय,
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीयान् ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. अर्जुन लाल पुत्र भोमाराम,
4. कैलाश पुत्र रामसहाय,
5. कोशल्या देवी पत्नी रामसहाय,
6. गीता पुत्री रामसहाय,
7. तीजा पुत्री भोमाराम,
8. धापा देवी पत्नी पांचूराम,
9. मन्नी देवी पुत्री पाचूराम,
10. रूकमणी पुत्री भोमाराम,
11. रामेश्वर पुत्र भोमाराम,
12. शंकर पुत्र भोमाराम,
13. श्याम लाल पुत्र पांचूराम,
14. शंकर पुत्र पांचूराम,
15. सन्तोष देवी पुत्री पांचूराम,
16. सुन्दर लाल पुत्र लुणाराम,
17. सरजू देवी पुत्री पांचूराम,
18. सुशीला पुत्री भोमाराम,
19. हरिनारायण पुत्र रामसहाय,
20. समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीयान् ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रार्थना पत्र तहत आदेश 47 व धारा 114 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0</u>

निर्णय दिनांक 18.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजस्व कैम्प ग्राम

डेरा में दिनांक 25.05.2022 को प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थीगण व प्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 की खातेदारी भूमि में बिना कोई रास्ता मौजूद हुये, तहसीलदार चौमूँ द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1983, 1984/3902 में चालू सार्वजनिक आम रास्ता में उपयोग में आना बता कर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार चौमू एवं सरपंच ग्राम पंचायत कालाडेरा की अवलोकन रिपोर्ट को आधार बनाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 व राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये, जिस मान्य न्यायालय के आदेश का पुर्वविलोकन किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं कि:–

(1) मान्य न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में सुनवाई प्रशासन गांवों के संग अभियान में किये जाने बाबत कोई नोटिस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 को नहीं दिया गया हैं, जिस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 उक्त प्रकरण में मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, ना ही अपना पक्ष मान्य न्यायालय के समक्ष रख पाये, जिस कारण आदेश दिनांक 25.05.2022 को पुर्नःविलोकन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय हैं ।

(2) मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 को कोई नोटिस जारी किये बिना तथा प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर तय करने पर कठोर कानूनी भूल की हैं, जिस कारण आदेश दिनांक 25.05.2022 पुनःर्विलोकन किये बिना प्रार्थीगण के साथ न्याय कतई सम्भव नहीं हैं।

(3) विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि अभियान में पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी आदेश जारी नहीं किया जा सकता हैं, फिर भी मान्य न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2022 पारित करने में विधि की भूल की हैं जो कि न्यायालय द्वारा पुनःर्विलोकन किया जाना आवश्यकीय हैं।

(4) रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक दिनांक 23.02.2022 में पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक सरपंच व वार्ड पंच ना तो मौके पर गये, ना ही मौके पर कोई रास्ता था, उक्त लोगों द्वारा ना ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 को कोई सूचना दी गई, बल्कि ऑफीस में बैठकर गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिस कारण आदेश दिनांक 25.05.2022 को पुनःर्विलोकन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्कीय हैं।

(5) मौका फर्द दिनांक 23.02.2022 भी बिना मौका पर गये तथा बिना सूचना दिये तैयार की गई हैं, जो कि मौका फर्द देखने से ही स्पष्ट होता हैं, मुताबिक मौका फर्द दर्शाया गया हैं कि मौके पर उपस्थित मोतवीरान् को फर्द पढ़कर सुनवाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये, जबकि मौका फर्द पर किसी भी अडौसी पडौसी अथवा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 19 के हस्ताक्षर नहीं हैं, ना ही सूचना देने बाबत कोई इन्द्राजात [illegible] में आदेश दिनांक 25.05.2022 को पुनःर्विलोकन किया जाना आवश्यकीय हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

(6) तहसीलदार चौमू द्वारा चालू रास्ते का राजस्व [illegible] में अंकन हेतु प्रस्ताव मान्य न्यायालय को भिजवाया गया हैं, जिसके साथ संलग्न [illegible] मौके को देखने से ही स्पष्ट होता हैं कि उक्त वर्णित रास्ता कतई भी आम रास्ता नहीं हो सकता जो कि व्यक्ति विशेष जिसका रास्ता दूसरी ओर से हैं जो मौके पर चालू हैं को फायदा पहुँचाने की गरज से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को बिना रास्ता होते हुई भी रास्ता दिखाया गया हैं, इस कारण आदेश दिनांक 25.05.2022 का पुनःर्विलोकन किया जाना आवश्यक हैं।

(7) आदेश दिनांक 25.05.2022 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से आदेश दिनांक 25.05.2022 को पुनःर्विलोकन किया जाकर पुनः नम्बर पर लिया जाना व प्रार्थीगण की सुनवाई किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय हैं।

858
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला जयपुर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आदेश दिनांक 25.05.2022 का [पूर्व]विलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया [ज]ाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का समूचित अवसर दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामिल करवायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5 ता 10, 15 ता 18 बावजूद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में अधिवक्ता केवियटकर्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि यह कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। राजस्व कैम्प ग्राम कालाडेरा में दिनांक 25.05.2022 को तहसीलदार चौमूँ द्वारा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1983, 1984/3902 में रास्ते के संबंध में बनाई गई रिपोर्ट सही बनाई गई है वह किसी भी तरह से झूठी रिपोर्ट नही है तथा उक्त रिपोर्ट भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के नियमों व प्रावधानों के तहत विधिक प्रक्रिया अनुसार बनाई जाकर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जिस आदेश को पूर्वविलोकन नही किया जा सकता है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश दिनांक 25.05.2022 सही पारित किया गया है। कानूनन किसी भी आदेश को जारी करते समय हुई टंकणीय त्रुटि को सुधारे जाने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि प्रार्थीगण उक्त आदेश से प्रभावित है तो उक्त आदेश की अपील संबंधित न्यायालय में की जानी चाहिए थी । उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा विधि व नियम विरूद्ध तरीके से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 23.02.2022 को पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, सरपंच व वार्ड पंच द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारों को सूचित कर रिपोर्ट बनाई गई है, प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों का अंकन अपने प्रार्थना पत्र में किया है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। मौका फर्द दिनांक 23.02.2022 को पक्षकारों की उपस्थिति में बनाई गई है तथा सभी को पढाकर हस्ताक्षर करवाये गये है तथा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न्यायालय श्रीमान द्वारा नही की गई है जिस कारण उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र मेन्टिनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रा0 पत्र के संबंध में तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम कालाडेरा के खसरा नम्बर 1983 व 1984/3902 में से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो0 चौमूं के प्रार्थना पत्र संख्या 37/22 सरकार बनाम अर्जुनलाल वगै0 में अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0आर0एक्ट 1956 निर्णय दिनांक 25.05.2022 की पालना में खसरा नम्बर 1983 में से 600 वर्ग मीटर भूमि व खसरा नम्बर 1984/3902 में से 100 वर्ग मीटर भूमि का नामा0 संख्या 3192 निर्णय दिनांक [illegible] से किस्म गै0मु0 रास्ता रिकार्ड दर्ज हुई जिसके हाल ख0न0 4868/1983 व 4866/1984 [illegible] जो सुरेश कुमार पुत्र गोविन्दराम, श्यामलाल पुत्र पांचूराम वगै0 की खाते[illegible] है।

ग्राम कालाडेरा के ख0न0 4868/1983 व 4866/1984 [illegible] गै0मु0 रास्ता की भूमि पर बाजरे की फसल बोई हुई है। तथा उक्त [illegible] रास्ता दर्शित नही हो रहा है। उक्त रास्ते की भूमि में बिजली का ट्रांसफार्मर, एवं बिजली का [illegible]म्बा व मजार का हिस्सा आता है। उत्तरी व दक्षिणी सीमा पर तार लगाकर बाड की हुई है तथा पश्चिम में पक्की दीवार बनी हुई है पूर्व में खेत में मिला हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि केवियटकर्त्ता ने कोई प्रा0पत्र नही दिया धारा 131-131 में। रास्ता कदीमी चालू है। पटवारी रिपोर्ट में कही भी प्रभावित लोगो के संबंध में कोई रिपोर्ट नही है। तथाकथित जो रास्ता काटा गया है वह काटा ही नही जा

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

है उस पर एक दीवार है मजार है। धारा 131, 132 में सार्वजनिक रास्ता बनाया जा सकता है लेकिन यह रास्ता हो ही नही सकता, कोई तथ्य सामने आ जाये तो आदेश को रिव्यु किया जा सकता है। अधिवक्ता केवियटकर्त्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि जो रास्ता काटा गया है वह सरपंच/पटवारी, तहसीलदार द्वारा बनाया गया है व तरमीम की गई है। उस रास्ते का उपयोग केवियटकर्त्ता 55 वर्षो से करता आया है। रिव्यु प्रा0पत्र लिपिकीय त्रुटी हेतु पेश किया जा सकता है। अंतिम आदेश को कोई स्वयं दुरस्त नही कर सकता इनको अपील में जाना चाहिए था।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र, दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार चौमू दिनांक 12.07.2022, जवाब अधिवक्ता केवियटकर्त्ता व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 47 व धारा 114 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 47 व धारा 114 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रा0पत्र संख्या 37/2022 उनवानी सरकार बनाम अर्जुनलाल वगै0 में जारी आदेश दिनांक 25.05.2022 को खारिज किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार तहसील चौमू को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested